XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 2567–एक / 14 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.4.15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवकताओं के तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, बासौदा के प्रकरण क्रमांक 111 / अ–12 / 13–14 में पारितआदेश दिनांक 26–6–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक दौलतसिंह द्वारा द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन पेश किया गया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही करते हुए राजस्व निरीक्षक ने पटवारी को समस्त सरहदी काश्तकारों को सूचना जारी कर मौके पर अभिलेख संहिता दिनांक 23.6.14 को उपस्थित होने के निर्देश दिए । पटवारी ने दिनांक 4.6.14 को अपना प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक को पेश किया । सीमांकन कार्यवाही के दौरान आवेदक ने आपत्ति पेश की जो उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा खारिज करते हुए पटवारी द्वारा प्रेषित सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि की गई है । इस आदेश से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3– आवेदक की ओर से अभिलेख के आाार पर प्रकरण का निराकरण किए जाने का अनुरोध किया गया । अनावेदक को लिखित बहस हेतु 10 दिवस का समय दिया गया था किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । 4– अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण सीमांकन का है । प्रकरण में सरहदी काश्तकारों को सीमांकन दिनांक की सूचना दिया जाना अभिलेख से नहीं पाया जाता है । किस खसरा नं. में भूमि निकलती है इसका भी	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विवरण पंचनामा में नहीं है और पंचनामे में उसी ग्राम के चौकीदार के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रकरण में जो सूचना पत्र की फोटो प्रति संलग्न है उसमें सरहदी काश्तकारों को 9–6–14 को सीमांकन किए जाने की सूचना दी गई है जबकि अभिलेख में जो सीमांकन का पंचनामा है वह 23–6–14 का है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में जो सीमांकन कार्यवाही हुई है वह विधिसम्मत नहीं है । जो आलोच्य आदेश पत्रिका है वह पूर्व से मुद्रित है और उसमें खाली स्थानों को भरा गया है इस कारण वैधानिक दृष्टि से उसका कोई मूल्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को विधिवत सूचना देकर तथा उनकी उपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही करें । सदस्य	

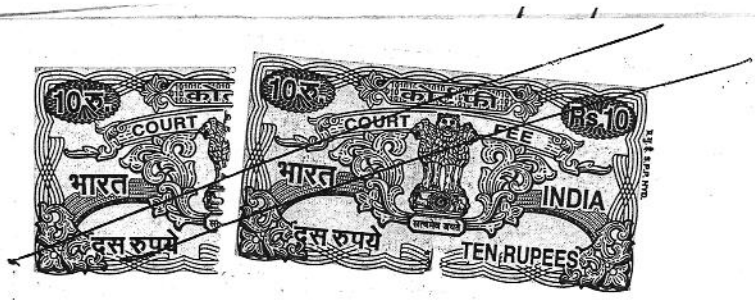

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, शिविर, भोपाल

R-2567-II/14 प्रकरण क्रमांक - - - / २०१४

रामस्वरुप आ० श्री करनसिंह जाति दांगी
निवासी ग्राम हिननोदा तहसील गंजबासौदा
जिला विदिशा (म०प्र०) - - - - - - - निगरानीकर्त्ता

विरुद्ध

दौलतसिंह आ० श्री हजारीलाल निवासी ग्राम
हिननोदा तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा--प्रतिनिगरानीकर्त्ता